<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जेम०एम० जलेसर, एटा</u>

उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

दाण्डिक वाद संख्या– 1287/2025

उ०प्र० राज्य

–बनाम–

1– गीतम सिंह पुत्र लोकपाल सिंह

2– गौरा देवी पत्नी गीतम सिंह

निवासीगण– कल्याणपुर, थाना अवागढ़, जिला एटा।

.....अभियुक्तगण

मु०अ०सं०- 112/2023

धारा- 323,504,506,336,342,406 भा०दं०सं०

थाना– अवागढ़, जिला–एटा

<u>**–निर्णय–**</u>

1– अभियुक्तगण **गीतम सिंह एवं गौरा देवी** के विरुद्ध मु०अ०सं०- 112/2023, अंतर्गत धारा 323,504,506,336,342,406 भा०दं०सं० के प्रकरण में पुलिस थाना अवागढ़ द्वारा विचारण हेतु **आरोप पत्र** इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2– संक्षेप में **अभियोजन कथानक संक्षेप** में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुकेश सिंह पुत्र वासदेव सिंह निवासी कल्याणपुर, थाना अवागढ़, जिला एटा की ओर से **प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर** इस आशय की दी गयी कि– *"सादर निवेदन जनपद अम्बेडकर नगर में कपडे की दुकान करता है 7 वर्ष पूर्व गाँव के ही गीतम सिह पुत्र लोकपाल सिंह प्रार्थी से 50000 रु की साडियां व अन्य कपडे दूकान से क्षेत्र में फेरी कर बिक्रय करने की कहकर ले आये थे जिसके पैसे प्रार्थी द्वारा काफी समय से मांगे जा रहे है लेकिन पैसे नहीं दिये गये। कल दिनांक 21–05–2023 शाम 5 बजे प्रार्थी द्वारा पैसे मांगे गये तो गीतम सिह उपरोक्त द्वारा प्रार्थी को यह कहकर घर पर बुलाया कि घर पर आओ। हिसाव कर पैसे देगें प्रार्थी जैसे ही गीतम सिह उपरोक्त के घर पहुँचा तो गौरा देवी पत्नी गीतम सिह निवासी उपरोक्त द्वारा घर का दरवाजा प्रार्थी के अन्दर जाते ही बन्द कर लिया और दोनो पति–पत्नी द्वारा लाठी, डण्डों से मारपीट शुरु कर दी और गीतम सिह द्वारा प्रार्थी के सिर में ईंट मार दी एवं गौरा देवी देवी द्वारा प्रार्थी का गला दवाकर जान से मारने की कोशिश की, प्रार्थी बचाव के लिए जब जोर से चिल्लाया तो डर की वजह से गौरा देवी ने गेट खोलकर यह कहते हुऐ भगा दिया कि अब दुवारा तुने पैसे मांगे तो जान से मार देगें अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें श्रीमान जी की महान कृपा होगी रात्रि में भी उक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के घर में घुसकर मारपीट की और धमकी दी गयी थी तो प्रार्थी द्वारा डायल*

112 पुलिस को भी कोलकर रात्रि 11.41 PM पर पुलिस को बुलाया था पुलिस द्वारा थाना पर आकर रिपोर्ट लिखाने को वोला था पुलिस पहुंची तब तक यह लोग भाग गये थे।"

3– उक्त घटना के आधार पर थाने पर अपराध संख्या 112/2023 अन्तर्गत धारा–406, 442, 323, 504, 336, 506, 452 भा०दं०सं० में परिवर्तित होकर विवेचना हुई।

4– विवेचना एस०आई० भुवनेश कुमार द्वारा की गई, जिनके द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अभियोग दैनिकी में लेखबद्ध किये गये। विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण गीतम सिंह एवं गौरा देवी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 336, 342, 406 भा०दं०सं० के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए विवेचना सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के उपरान्त **आरोप पत्र** न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 08.08.2025 को प्रसंज्ञान लिया।

5– अभियुक्तगण को विचारण हेतु न्यायालय आहूत किया गया, आहूत किये जाने पर अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आया। उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। तदोपरान्त दिनांक 10.04.2026 को अभियुक्तगण गीतम सिंह एवं गौरा देवी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 336, 342, 406 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की माँग की। अतः अभियुक्तगण का उक्त आरोपों के सन्दर्भ में न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया।

6– अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में **अभिलेखीय साक्ष्य** में आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी रिपोर्ट एवं केस डायरी पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं। मौखिक साक्ष्य में अभियोजन द्वारा **पी०डब्लू० 1** के रूप में वादी मुकदमा मुकेश सिंह एवं **पी०डब्लू० 2** के रूप में विजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा की ओर से अन्य गवाहों को उन्मोचित कराये जाने हेतु उन्मोचन प्रार्थना पत्र 21 ब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन अधिकारी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। उन्मोचन प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्वीकृत किया गया। अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7– तदोपरान्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में सम्मिलित आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा–नजरी आदि के निष्पादन की सत्यता को धारा **294 दं०प्र०सं०** के प्रावधानों के अन्तर्गत औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त दिनांक 24.07.2026 को **धारा 313 दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत अभियुक्तगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जिनमें उसके द्वारा घटना को झूँठ है गया, हालांकि अभियुक्तगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9– मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर इस आशय का आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज कर मारपीट की तथा उसके ऊपर ईंट पत्थर फेंककर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न उत्पन्न किया एवं उसे गलत तरीके से बंधक बनाया एवं जान से मारने की धमकी दी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा इसी प्रयोजनार्थ पर की जायेगी।

11– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्षी **पी०डब्लू० 1 मुकेश सिंह (वादी मुकदमा)** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– *"दिनांक 21.05. 2023 को शाम के समय उधारी के पैसो को लेकर उनके कुछ कहा सुनी हो गयी थी। कोई मारपीट गाली गलौज नहीं हुयी थी न ही कोई जान से मारने की धमकी दी थी न ही ईट पत्थर फेंके थे न ही मुझे बन्धक बनाया था। मेरे पैसे पचास हजार रु उधार थे वह मुझे मिल गये थे। मेरे चोटे रास्ते में गिरने से आ गयी थी। जिसका मैने मेडिकल कराया था। तहरीर मैने गावं वालो के कहे अनुसार लिख दी थी। तहरीर कागज संख्या 5 अ पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरा इस मुकदमें में फैसला हो गया है। दरोगा जी ने मेरा इस सम्बन्ध में कोई बयान नही लिया था।"* इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी को जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन से जिरह** में इस साक्षी ने कथन किया है कि, *"गवाह को उसका 161 द०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नही दिया उन्होने कैसे लिख लिया इसकी वजह नही बता सकता। यह कहना सही है मुल्जिमान मेरे सगे चाचा है चाची है तथा हमारे इनसे न्यायालय के बाहर आपस में फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने की वजह से मै आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं। मै न्यायालय में आधार कार्ड लेकर आया हूं और बिना किसी दबाव के गवाही दे रहा हूं।"* **अभियुक्तगण से जिरह** में इस साक्षी ने कथन किया है कि, *"हाजिर अदालत मुल्जिम ने मेरे साथ कोई घटना नही की थी। हमारा आपस में समझौता हो गया है।"*

12– अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित कराने के लिये **पी०डब्लू० 2** के रूप में विजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– *"हाजिर अदालत मुल्जिम गीतम सिंह मेरा भतीजा और गौरा देवी मेरे भतीजे की पत्नी है जबकि मुकेश सिंह मेरा नाती है। दिनांक 21.05.2023 को शाम के समय उधारी के पैसो को लेकर दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो गयी थी। कोई मारपीट गाली गलौज नहीं हुयी थी न ही कोई जान से मारने की धमकी दी थी न ही ईट पत्थर फेंके थे न ही मुकेश को बन्धक बनाया था। मुकेश के जो पैसे पचास हजार रु उधार थे वह उसे मिल गये थे। दरोगा जी ने मेरा इस सम्बन्ध में कोई बयान नहीं लिया था।"* इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन से जिरह** में इस साक्षी ने कथन किया है कि, *"गवाह को*

उसका 161 द०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नही दिया उन्होने कैसे लिख लिया इसकी वजह नही बता सकता। यह कहना सही है मुल्जिमान मेरे भातीजे व भतीजे की पत्नी है तथा इन लोगो को आपस में फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने की वजह से मै आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं।"

13– इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित कराने के लिए उपरोक्त साक्षियों को परीक्षित कराया गया। साक्षी पी०डब्लू० 1 मुकेश सिंह वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है एवं कथन किया है कि दिनांक 21.05.2023 को शाम के समय उधारी के पैसों को लेकर कुछ कहा सुनी हो गयी थी। कोई मारपीट गाली गलौज नहीं हुयी थी न ही कोई जान से मारने की धमकी दी थी न ही ईट पत्थर फेंके थे न ही उसे बन्धक बनाया था। उसके पैसे पचास हजार रु उधार थे वह उसे मिल गये थे। उसके चोटे रास्ते में गिरने से आ गयी थी। साक्षी पी०डब्लू० 2 विजेन्द्र सिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के विपरीत एवं विरोधाभाषी कथन किया है। अतः उपरोक्त गवाहों की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौज कर मारपीट की हो तथा उसके ऊपर ईंट पत्थर फेंककर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न उत्पन्न किया हो एवं उसे गलत तरीके से बंधक बनाया हो एवं जान से मारने की धमकी दी हो। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है, बल्कि घटना के विपरीत एवं विरोधाभासी बयान दिया है।

14– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है, तब तक अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्तगण के ऊपर आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्तगण पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे।

15– जहां तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी प्रलेखीय साक्ष्य का प्रश्न है तो उनके निष्पादन की सत्यता को औपचारिक रूप से अभियुक्तगण की ओर से धारा 294 दं०प्र०सं० के प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है और इन प्रलेखों के निष्पादन पर उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है, किन्तु प्रस्तुत मामले में मौखिक एवं तात्विक साक्ष्य के अभाव में ये प्रलेख भी अभियोजन कथन का सम्पोषण नहीं करते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रस्तुत किये गये तथ्यों के साक्षीगण से साबित करना होता है। मात्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लेने से अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **गीतम सिंह एवं गौरा देवी** को धारा

323,504,506,336,342,406 भा०दं०सं०, के प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

16– अभियुक्तगण **गीतम सिंह एवं गौरा देवी** को दाण्डिक वाद संख्या 1287/2025, मु०अ०सं० 112/2023 अंतर्गत धारा 323,504,506,336,342,406 भा०दं०सं०, थाना अवागढ़, जिला एटा में उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में जमानत पर है। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

17– अभियुक्तगण धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मुव० 20,000/–रू० (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करना सुनिश्चित करें।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)

दिनॉकः 20.08.2026

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)

दिनॉकः 20.08.2026